

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र./शि.क./एडी/अध्या.संवर्ग/संवि./71/2008/ 192

भोपाल, दिनांक 22/9/08

:: संशोधन ::

लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेशों के अन्तर्गत अध्यापक संवर्ग के पात्र आवेदकों को अन्तर्जिला संविलियन की अनुमति दी गई थी। निम्न तालिका के कालम क्रमांक-2 में अंकित निम्नांकित आवेदकों/संबंधित निकायों के द्वारा तालिका के कालम-3 में उल्लेखित संचालनालय के आदेश में संशोधन के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। प्राप्त आवेदन-पत्रों का परीक्षण उपरान्त तालिका के कालम-4 के अनुसार निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं :-


स.क्र.	आवेदक का नाम, पद एवं कार्यरत संस्था	संचालनालय द्वारा जारी आदेश का क्रमांक एवं दिनांक	कालम-3 में उल्लेखित संचालनालय के आदेश की स्थिति एवं संशोधन
1	2	3	4
1	श्रीमती गीता शर्मा, सहायक अध्यापक शा. क.प्रावि विजयपुर जिला-श्योपुर	क्र./शि.क./ए+डी /अजिनि.संवि./ 15/2008/63-64, दि. 22.08.08	कालम-3 में उल्लेखित आदेश के स.क्र. 02 के द्वारा आवेदक को जनपद पंचायत आलोट, जिला-रतलाम से जनपद पंचायत घाटीगांव, (बरई) जिला-ग्वालियर के अन्तर्गत शा. प्रावि नयागांव, शा. बा. प्रावि पनिहार एवं शा. क. प्रावि पनिहार के लिए संविलियन की अनुमति दी गई थी। उक्त निकाय जनपद पंचायत घाटीगांव (बरई) द्वारा के पत्र क्र. 2151, दिनांक 10.09.08 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उल्लेखित संस्थाओं में अन्य आवेदकों को पदांकित कर दिया है इसलिये पद रिक्त नहीं है। उपर्युक्त के प्रकाश में जनपद पंचायत घाटीगांव (बरई) द्वारा के पत्र क्र. 2151, दिनांक 10.09.08 के द्वारा जारी नवीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित संचालनालय के आदेश में एतद् द्वारा आंशिक संशोधन करते हुये शा. प्रावि नयागांव, शा. बा. प्रावि पनिहार एवं शा. क. प्रावि पनिहार के स्थान पर शा. क.प्रावि सुसैरा, शा. प्रावि वृम्हा का पुरा एवं शा. प्रावि गोपालपुरा पढ़ा जाये। शेष आदेश यथावत् रहेगा।
2	श्रीमती राधा शर्मा अध्यापक शा. मावि आकलोन जिला-अशोकनगर	क्र./अध्या.संवर्ग/ डी/संवि./173/ 2008/1112-1113, दि. 13.08.08	कालम-3 में उल्लेखित आदेश के स.क्र. 06 के द्वारा आवेदक को जनपद पंचायत ईशागढ़, जिला-अशोकनगर से जनपद पंचायत मुरार, जिला-ग्वालियर के अन्तर्गत शा. मावि बेहटा मुरार, जिला-ग्वालियर के लिए संविलियन की अनुमति दी गई थी। आवेदक द्वारा जनपद पंचायत मुरार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर शा. मावि उटीला के लिए संशोधन चाहा गया है। उक्त के प्रकाश में जनपद पंचायत मुरार, जिला-ग्वालियर के पत्र क्र./4251, दिनांक 30.08.08 के आधार पर संचालनालय के उल्लेखित आदेश में एतद् द्वारा आंशिक संशोधन करते हुये शा. मावि बेहटा मुरार के स्थान पर शा. मावि उटीला पढ़ा जाये। शेष आदेश यथावत् रहेगा।

3	श्रीमती नमिता खरे अध्यापक शा. नवीन मावि चौपरा रैयतवारी जिला-दमोह	क्र./शिक./एडी/ अध्या.संवर्ग/संवि./38 /2008/107-108, दि. 06.09.08	कालम-3 में उल्लेखित आदेश के स.क्र. 19 के द्वारा आवेदक को जिला पंचायत दमोह से जिला पंचायत सागर के अन्तर्गत शा. हाईस्कूल बरौदा रहली के लिए संविलियन की अनुमति दी गई थी । उल्लेखित आदेश कार्यरत निकाय त्रुटिवश जिला पंचायत दमोह, जिला-दमोह जा.क्र. 01, दिनांक 16.07.08 अंकित हो गया है । जबकि जनपद पंचायत दमोह, जिला-दमोह जा.क्र. 4818, दिनांक 10.07.08 होना चाहिए है । अतः संचालनालय के उल्लेखित आदेश में एतद द्वारा उक्तानुसार संशोधन मान्य योग्य है । शेष आदेश यथावत् रहेगा ।
4	श्रीमती अनिता ठाकुर अध्यापक शा. मावि सोठिया विदिशा जिला-विदिशा	क्र./अध्या.संवर्ग/ डी/संवि./181 बी/ 2008/1183-1184, दि. 21.08.08	कालम-3 में उल्लेखित आदेश के स.क्र. 02 के द्वारा आवेदक को जनपद पंचायत विदिशा से जनपद पंचायत इन्दौर के अन्तर्गत शा. मावि बडियाराकामा के लिए संविलियन की अनुमति दी गई थी । आवेदक को नगर पालिक निगम इन्दौर, जिला-इन्दौर के पत्र क्र. 991-जीए, दिनांक 16.09.08 के द्वारा शा. मावि नंदबाग इन्दौर जिला-इन्दौर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया है । अतः एतद् द्वारा संचालनालय के उल्लेखित आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये जनपद पंचायत इन्दौर के अन्तर्गत शा. मावि बडियाराकामा के स्थान नगर पालिक निगम इन्दौर जिला-इन्दौर के अन्तर्गत शा. मावि नंदबाग इन्दौर जिला-इन्दौर पढ़ा जाये । शेष आदेश यथावत् रहेगा ।
5	श्रीमती सुनन्दा शर्मा अध्यापक शा. मावि रतनबर्षी जिला-विदिशा	क्र./अध्या.संवर्ग/ ए/संवि./017/ 2008/013-014, दि. 14.08.08	कालम-3 में उल्लेखित आदेश के स.क्र. 12 के द्वारा आवेदक को जनपद पंचायत सिरोंज, जिला-विदिशा से जनपद पंचायत शिवपुरी, जिला-शिवपुरी के अन्तर्गत शा. क. प्रावि सतनवाड़ा, शा. क. प्रावि शिवपुरी एवं शा. मावि सिसौद के लिए संविलियन की अनुमति दी गई थी । जनपद पंचायत शिवपुरी जिला-शिवपुरी के पत्र क्र./2010, दिनांक 12.09.08 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उल्लेखित संस्थाओं में पद रिक्त नहीं है तदनुसार संचालनालय के उल्लेखित आदेश में एतद् द्वारा आंशिक संशोधन करते हुये शा. क. प्रावि सतनवाड़ा, शा. क. प्रावि शिवपुरी एवं शा. मावि सिसौद के स्थान पर शा. प्रावि मोहम्मदपुर पढ़ा जाये । शेष आदेश-यथावत् रहेगा ।
6	श्रीमती आशा चन्देलकर सहायक अध्यापक शा. उमावि चकल्दी जिला-सीहोर	क्र./अध्या.संवर्ग/ डी/संवि./154/ 2008/1006-1007, दि. 12.08.08	कालम-3 में उल्लेखित आदेश के स.क्र. 09 के द्वारा आवेदक को जनपद पंचायत नसरुल्लागंज, जिला-सीहोर से जनपद पंचायत बैतूल, जिला-बैतूल के अन्तर्गत शा. मावि बरसाली के लिए संविलियन की अनुमति दी गई थी । उक्त के प्रकाश में जिला शिक्षा अधिकारी, बैतूल के पत्र पृ.क्र. 4532, दिनांक 08.09.08 के द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद पंचायत बैतूल, जिला-बैतूल के अन्तर्गत शा. मावि बरसाली में पद रिक्त नहीं है । उनके द्वारा जनपद पंचायत बैतूल जिला-बैतूल के अन्तर्गत शा. प्रावि बरसाली के लिए संशोधन चाहा है । अतः एतद् द्वारा उल्लेखित संचालनालय के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये

			शा. मावि बरसाली के स्थान पर शा. प्रावि बरसाली पढ़ा जाये । यह संशोधन जनपद पंचायत बैतूल, जिला-बैतूल द्वारा मान्य होने पर प्रभावशील होगा । शेष आदेश यथावत् रहेगा ।
7	श्रीमती अन्जना तिवारी अध्यापक शा. मावि गांध जिला-भिण्ड	क्र./अध्या.संवर्ग/ ए/संवि./033/ 2008/41-42, दि. 21.08.08	कालम-3 में उल्लेखित आदेश के स.क्र. 02 के द्वारा आवेदक को जनपद पंचायत रौन, जिला-भिण्ड से जनपद पंचायत मुरार, जिला-ग्वालियर के अन्तर्गत शा. मावि खेड़ी के लिए संविलियन की अनुमति दी गई थी । आवेदक द्वारा उक्त शाला में पदपूर्ति होना बताया जाकर जनपद पंचायत मुरार, जिला-ग्वालियर द्वारा जारी नवीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है । उक्त के प्रकाश में जनपद पंचायत मुरार जिला-ग्वालियर के पत्र क्र. 4471, दिनांक 18.09.08 के आधार पर एतद् द्वारा संचालनालय के उल्लेखित आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये शा. मावि खेड़ी के स्थान पर शा. मावि सेथरी पढ़ा जाये । शेष आदेश यथावत् रहेगा ।
8	श्रीमती रोशी जहाँ अध्यापक शा. मावि बरखेड़ा जिला-सीहोर	क्र./अध्या.संवर्ग/ ए/संवि./019/ 2008/021-022, दि. 18.08.08	कालम-3 में उल्लेखित आदेश के स.क्र. 02 के द्वारा आवेदक को जनपद पंचायत आष्टा, जिला-सीहोर से जिला पंचायत उज्जैन जिला-उज्जैन के अन्तर्गत शा. मावि मतानाखुर्द के लिए संविलियन की अनुमति दी गई थी । आवेदक द्वारा उक्त शाला में पदपूर्ति होना बताया जाकर जिला पंचायत उज्जैन जिला-उज्जैन द्वारा जारी नवीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है । उक्त के प्रकाश में जिला पंचायत उज्जैन जिला-उज्जैन के पत्र क्र. 5572, दिनांक 15.07.08 के आधार पर एतद् द्वारा संचालनालय के उल्लेखित आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये शा. मावि मतानाखुर्द के स्थान पर शा. मावि चौदमुख पढ़ा जाये । शेष आदेश यथावत् रहेगा ।
9	श्रीमती उषा चौधरी अध्यापक शा. मावि पण्डोखर जिला-दतिया	क्र./शि.क./ए+डी/ अजिनि संवि./02 /2008/1146-1147, दि. 14.08.08	कालम-3 में उल्लेखित आदेश के स.क्र. 12 के द्वारा आवेदक को जिला पंचायत दतिया, जिला-दतिया से जिला पंचायत ग्वालियर जिला-ग्वालियर के अन्तर्गत शा. मावि सिरसोद मुरार के लिए संविलियन की अनुमति दी गई थी । जिला शिक्षा अधिकारी, ग्वालियर के पत्र क्र./5397, दिनांक 06.09.08 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त संस्था में पद की पूर्ति होने से संबंधित को उपस्थित नहीं कराया गया है । जिला पंचायत ग्वालियर द्वारा जारी नवीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र में उल्लेखित संस्था शा. मावि सौसा के लिए संशोधन हेतु लिखा गया है । उक्त के प्रकाश में जिला पंचायत ग्वालियर जिला-ग्वालियर के पत्र क्र. 11038, दिनांक 05.09.08 के आधार पर एतद् द्वारा संचालनालय के उल्लेखित आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये शा. मावि सिरसोद मुरार के स्थान पर शा. मावि सौसा पढ़ा जाये । शेष आदेश यथावत् रहेगा ।

10	श्रीमती अनिता शर्मा सहायक अध्यापक शा. प्रावि खुई गांव नलखेड़ा जिला-शाजापुर	क्र./अध्या.संवर्ग/ डी/संवि./143/ 2008/849-850, दि. 11.06.08	कालम-3 में उल्लेखित आदेश के स.क्र. 11 के द्वारा आवेदक को जनपद पंचायत नलखेड़ा जिला-शाजापुर से जनपद पंचायत गरोठ जिला-मन्दसौर के अन्तर्गत शा. प्रावि परासली दीवान के लिए संविलियन की अनुमति दी गई थी। जनपद पंचायत गरोठ द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त संस्था में छात्र संख्या के अनुपात में पद रिक्त नहीं है। उक्त के प्रकाश में जनपद पंचायत गरोठ जिला-मन्दसौर के पत्र क्र. 1213, दिनांक 18.09.08 के आधार पर एतद् द्वारा संचालनालय के उल्लेखित आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये शा. प्रावि परासली दीवान के स्थान पर शा. प्रावि कोटड़ी आखा पढ़ा जाये। शेष आदेश यथावत् रहेगा।
11	कु. ममता निवे सहायक अध्यापक शा. प्रावि दुल्हई जिला-शिवपुरी	क्र./अध्या.संवर्ग/ डी/संवि./143/ 2008/849-850, दि. 11.06.08	कालम-3 में उल्लेखित आदेश के स.क्र. 15 के द्वारा आवेदक को जनपद पंचायत पिछोर जिला-शिवपुरी से जनपद पंचायत डबरा जिला-ग्वालियर के अन्तर्गत शा. प्रावि डबरा गांव के लिए संविलियन की अनुमति दी गई थी। जनपद पंचायत डबरा द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त संस्था में पद रिक्त नहीं है। उक्त के प्रकाश में जनपद पंचायत डबरा जिला-ग्वालियर के पत्र क्र. 2216, दिनांक 19.09.08 के आधार पर एतद् द्वारा संचालनालय के उल्लेखित आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये शा. प्रावि डबरा गांव के स्थान पर शा. प्रावि चकमाधौपुर पढ़ा जाये। शेष आदेश यथावत् रहेगा।

“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”


22/9/08
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक

22/9/08

पृ.क्र./शि.क./एडी/अध्या.संवर्ग/संवि./संशो./71/2008/ 193
प्रतिलिपि :-

1. संबंधित जिला-कलेक्टर मध्यप्रदेश।
2. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश।
3. संबंधित नगर पालिक निगम मध्यप्रदेश।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु।

6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत/नगर पंचायत एवं नगर पालिका परिषद् मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि मूल आदेश/सेवा अभिलेखों की पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त ही कार्यभार/कार्य ग्रहण कराया तथा मूल आदेश में उल्लेखित शर्तों की पूर्ति होने पर आदेश प्रभावशील रहेगा।
7. संबंधित उपर्युक्त तालिका के कालम-2 अनुसार की ओर सूचनार्थ।


22/9/08
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश